फर्द अहकाम

कार्यालय – उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर

प्रार्थी – .... विपक्षी ....

किस्म मुकदमा:– .... पत्रावली संख्या 46/2020 सन् 2020

24/03/2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। पैरोकार सरकार, तहसीलदार सलुम्बर, उपस्थित। प्रार्थीगण ने एक प्रा.प. O-39, R1, 2 जा.दि. एव 212 रा.का. अधिनियम का पेश किया। मौजा कल्याणाकला तहसील सलुम्बर के हाल आराजी नं. 541, 550, 551, 556, 559, 571, 918, 932, 983, 998, 1000, 1012, 1013, 1157, 1058, 1399, 1443 कुल खेत 17 रकबा 1.70 है० का अपने आप को काश्तकार बताकर प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र पेश किया है जिसमे विपक्षी लवजी को मृत बताया गया है जबकी विपक्षी लवजी जिन्दा है व प्रार्थीगण व उसकी पत्नी केशी पुत्र भूरालाल, ईश्वरलाल है ऐसी सूरत मे विपक्षी लवजी के जिन्दा होते हुए प्रार्थीगण किस प्रकार प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मे खातेदार काश्तकार है। विपक्षी ने एक अनरजिस्टर्ड अनस्टाम्प एग्रीमेन्ट दिनांक 22-8-1996 का पेश किया है। परन्तु कोई भी कृषि भूमि इकरार से हस्तान्तरण नही होती है एवं प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के पेरा-2 मे लिखा है कि प्रार्थीगण विपक्षी नं.-1 के कानूनी वारिश होने से इन्तकाल खोला है, परन्तु प्रार्थीगण के नाम इन्तकाल राजस्व रेकार्ड मे कैसे आया इसके बारे मे प्रार्थीगण ने स्पष्ट जवाब नाम आने का नही दे पाये। न किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से अथवा रजिस्टर्ड हस्तान्तरण से अथवा विरासत से इन्तकाल खुलता है, परन्तु प्रार्थीगण अपने नाम भूमि आदि दर्ज होने का स्पष्ट जवाब नही दे पाये, इसके विपरीत लवजी ने जवाब दिया है कि वह अपने पिता का इकलोता पुत्र है। एव पिता शान्त हुए तब उनका वारीश विपक्षी लवजी उसकी माता मानी एवं बहीन गंगा बाई तीन वारीश थे परन्तु भूमि मां मानी और लवजी विपक्षी के

नाम थी बहीन गंगा का नाम नही है। लेकिन बहीन वारीश है उसका भी हिस्सा है उसे इस प्रार्थनापत्र व वादपत्र मे प्रार्थीगण ने पक्षकार नही बनाया है। मां मानी के निधन के बाद आधे हिस्से की वारीश मे विपक्षी लवजी एवं आधे हिस्से की वारीश गंगाबई है। प्रार्थीगण ने मुख विपक्षी के जीवनकाल मे मेरी माता मानी के जीवनकाल मे उसके राजस्व रेकार्ड मे आधा हिस्से मे था जो चुपचाप 1/2 आधा हिस्सा खाते कर दिया जिससे वे खातेदार काश्तकार होते है ना ही वे सह-खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकारी है।

न्यायालय के ध्यान मे लाया गया की श्रीमती गंगा बहीन लवजी की उसने पांती बटवाड़ा घोषणा का वाद इसी न्यायालय मे आपके लवजी व उसकी दोनो पत्नी व लडको के विरुद्ध पेश कीया है, जिसके मु.न. 44/2021 रा.वा. है, अनवान जो श्रीमती गंगा बनाम लवजी वगैरा दर्ज है। इस प्रार्थनापत्र मे न्यायालय को देखना है क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने पर अपूर्णिय क्षति की संभावना है कि प्रार्थीगण ने कोई ऐसा दस्तावेज व आदेश इस पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के 1/2 आधे हिस्से के खातेदार काश्तकार हो केवल राजस्व रिकार्ड मे गलत इन्द्राज होने से कोई व्यक्ति खातेदार काश्तकार नही बनजाता है एंव 1/2 हिस्से की गंगाबाई को पक्षकार नही बनाने का भी प्रार्थीगण जवाब नही दे पाये, प्रार्थीगण अपने हक मे प्रथम दृष्टया मामला साबित करने मे असफल रहे। जहा तक सुविधा संतुलन का प्रश्न है वह भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है एंव अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने से अपूर्णिय क्षति नही होनेवाली है अत: प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।